दूरभाष - 05278-245957
फैक्स - 05278-248123

डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2018/7117 दिनांक :25-10- 2018

अनुस्मारक/शीर्ष प्राथमिकता

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,
स्ववित्तपोषित महाविद्यालय (केवल प्रवेश प्रतिबन्धित महाविद्यालय हेतु)
सम्बद्ध, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

विषयः प्रवेश प्रतिबन्धित स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में शिक्षक अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों जिनमें मानकानुसार शिक्षक/प्राचार्य आनलाइन न होने के कारण महाविद्यालय के सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रतिबन्धित किये गये हैं, उन समस्त महाविद्यालयों को पूर्व में विश्वविद्यालय के पत्रांकः लो0अ0वि0/सम्ब0/2018/7099 दिनॉक 02-07-2018 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है कि महाविद्यालय के सम्बन्धित पाठ्यक्रम में मानकानुसार शिक्षक/प्राचार्य का विश्वविद्यालय द्वारा यथाशीघ्र अनुमोदन कराना सुनिश्चित करें। विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक एवं प्राचार्य अनुमोदन कराये जाने हेतु वांछित समय भी प्रदान किया जा चुका है, परन्तु फिर भी अधिकांश प्रवेश प्रतिबन्धित महाविद्यालयों द्वारा उक्त कार्य में उदासीनता बरती जा रही है। यह भी सूचित किया जाता है कि जब तक सम्बन्धित पाठ्यक्रम में मानकानुसार शिक्षक/प्राचार्य का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा नही करा लिया जायेगा तब तक प्रवेश प्रतिबन्धित रहेंगे।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी सूच्य है कि विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात् किसी भी दशा में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश की तिथि विस्तारित नही की जायेगी। यदि आप द्वारा प्रवेश प्रतिबन्धित पाठ्यक्रम में छात्र/छात्राओं का प्रवेश लिया जाता है तो ऐसे छात्र/छात्राओं की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में नही करायी जायेंगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,

/

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र के साथ संलग्न सूची में उल्लेखित महाविद्यालयों के कालेज लाग-इन एवं विश्वविद्यालय की बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चत करें।
2. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।

कुलसचिव